



आर.ई.ओ.-123

जोधपुर  
विद्युत वितरण  
निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

सू. पावर हाऊस, इन्टरमीडियट शेरिया, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 2651224. (फै) फोन्स नं. 2651227

क्रमांक:- प्रमि/जोविदिगिलि/अनु-पीपीएम/पत्रा० /प्रेस० 934 जोधपुर, दिनांक 17/7/06


आदेश

विषय :- कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित दिनांक 18.9.2004) के बिन्दू संख्या 7 (iii), (iv) के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने बाबत।

\*\*\*

दिनांक 23 जून 2006 का आयोजित समन्वय समिति की 95 वीं बैठक में, कृषि कनेक्शन नीति-2004 (संशोधित दिनांक 18.9.2004) में बिन्दू संख्या 7 (iii), (iv) का पुनरावलोकन कर, समन्वय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रावधानों में यह स्पष्ट किया जाये कि शहीद की जमीन के समये जो भी जमीन उसकी विधवा या आश्रितों अथवा माता-पिता के पास है, उस पर जो कृषि कनेक्शन देय है वशत कि आवेदक की जमीन उसी गांव या गांव की सम्वन्धित पंचायत समिति की राजस्व सीमा में ही जहां का शहीद रहने वाला था। सम्वन्धित पंचायत समिति के अलावा अन्य नृमि, पर कृषि कनेक्शन तभी देय होगा जब सम्वन्धित जिला कलेक्टर द्वारा यह प्रमाणित किया जाये कि पंचायत समिति जहां का शहीद मूल निवासी था, में शहीद की विधवा या आश्रितों अथवा माता-पिता को शहीद की जमीन में कनेक्शन नहीं दिया गया है। इस हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जारी मूल प्रमाण-पत्र आवेदक के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

  
(एम.एल.त्रिपाठी)  
अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।